ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO. 193-195
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

पेरियार एवं दलित महिलाओं का प्रश्न

प्रमोद कुमार
पी–एच०डी०, राजनीति विज्ञान
राज्य सम्पोषित बालिका इण्टर विद्यालय, जहानाबाद (बिहार) भारत

ऐसे तो दलित महिलाओं की स्थिति पर एक व्यवस्थित एवं सटीक वर्णन का अभाव दिखता है किन्तु दक्षिण भारत में पेरियार द्वारा चलाये गये 'सेल्फ रेस्पेक्ट आन्दोलन' की चर्चा करने पर दलित महिलाओं के सक्षमता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश तो पड़ता ही है। पेरियार का आन्दोलन आदि द्रविड़ और स्त्रियों को एक 'नागरिक' की हैसियत से स्थापित करने की दिशा में प्रशंसनीय प्रयोग था।1 पेरियार के सेल्फ रेसपेक्ट आंदोलन में काफी उत्साही महिलाएँ भी थी, जो कि सम्मेलन में बोलती थीं, और पत्रिकाओं में लिखती थीं। इससे स्त्रियों और खासकर दलित स्त्रियों का मुद्दा काफी उभरकर सामने आता था। ये पत्रिकाएँ तमिल भाषा में प्रकाशित होती थीं। इनमें से प्रमुख थीं – कुडि अरासु, पुरात्वी, पागुथरिभु एवं समाधर्मन। इसमें दलित महिला ने लिखा है कि जाति व्यवस्था सिर्फ विभिन्न जातियों में श्रम का विभाजन ही नहीं करती है बल्कि विभिन्न जातियों की महिलाओं के बीच भी विभाजन का काम करती है। इन सेल्फ रेस्पेक्टर्स महिलाओं ने मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ी महिलाओं पर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की।

'कुडी अरासु' के जनवरी, 1922 के अंक में इन सेल्फ रेस्पेक्टर्स महिलाओं ने लिखा है कि, पढ़ी–लिखी उच्च वर्णीय स्त्रियाँ ये कैसे भूल सकती है कि राष्ट्रवादी आन्दोलनों में जो हिन्दू स्त्रियों की भूमिका और उनके आदर्श जैसे– सीता, नलयिनी तथा चंद्रमती और बासुगी को बार–बार दुहराया जाता है, वह वास्तव में स्त्रियों के द्वितीयक स्थिति को मजबूत बनाता है।2 मिनाक्षी नाम की सेल्फ रेस्पेक्टर जो हमेशा 'कुडि अरासु' में लिखती थीं कि उन्होंने भारतीय स्त्रियों से एक अलग प्रकार की असहयोग आंदोलन और एक भिन्न प्रकार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। मिनाक्षी ने कहा कि दारू की दुकानें एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ–साथ ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रतिरोध करते हैं।3 ये सुधार या देवदासी सुधार से सम्बन्धित हो या फिर स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित हो आदि द्रविड़ स्त्रियों की स्थितियों से सम्बन्धित हो। निम्नांकित कथन जो कुडि अरासु मार्च 6, 1932 से लिया गया है उससे सेल्फ रेसपेक्टर महिलाओं के प्रबोधन और उनका आदि द्रविड़ महिलाओं की स्थिति में एक मौलिक सुधार लाने की ओर समर्पण का द्योतक है।

निलावथी नाम की एक सेल्फ रेसपेक्टर महिला ने पुरात्वि नाम के शोध पत्रिका में 'स्त्री और श्रम' नामक शीर्षक से एक लेख लिखा। यह लेख 29 अप्रैल, 1934 ई० को प्रकाशित हुआ।4 इसमें निलावथी ने कहा कि एक तरफ उच्चवर्गीय स्त्रियाँ, जो सुविधाजनक वातावरण में रहती हैं वो पुरूषों के अधीन हैं और जैसे–तैसे अपने समय को काटती हैं तो दूसरी तरफ ऐसी दलित और गरीब महिलाएँ हैं जो कारखानों, अस्पताल एवं खेतों में काम करती हैं और जिंदगी भर संघर्ष ही करती रहती हैं। निलावथी का यह मानना था कि दलित औरतों को भी श्रमिक के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। स्त्रियों को उनके गृह कार्य की भी पारिश्रमिक मिलनी चाहिए। निलावथी की यह अवधारणा पेरियार की उस अवधारणा से मेल खाती है, जिसमें वो कहते हैं कि सभी शूद्रों को जन्म से ही श्रमिक मानना चाहिए जो समाज का बहुत ही 'तुच्छ' और अहम काम करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्टर महिलाओं ने जाति प्रथा को नष्ट करने के लिए अन्तर्जातीय विवाह की भूमिका पर काफी बल दिया। अनापुराणी नाम की सेल्फ रेस्पेक्टर महिला ने ए० राथिनासावापथी नाम के एक उच्चवर्गीय पुरूष के साथ विवाह किया। राथिनासाबापथी इस समय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के समर्थक थे और उन्होंने एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम था, 'येजाई अजुथा कानेर' – गरीबों के आँसू। महिला सेल्फ रेस्पेक्टर्स ने अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह को काफी प्रोत्साहित किया। जब औरतें अपना जीवनसाथी स्वयं चुनने में सक्षम हो जाती हैं तो जाति प्रथा को एक बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है।

यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि जाति एवं पितृसत्तात्मकता में एक गहरा सम्बन्ध है।5 पितृसत्तात्मकता पेट्रिलिनी पर आधारित है, जिसमें नाम, उपनाम, आवास, सम्पत्ति का हस्तांतरण सब पुरूषों के जरिए ही होता है। इस व्यवस्था में स्त्रियाँ पुरूषों के दो समूहों के बीच आदान–प्रदान की एक वस्तु होती है।6 दूसरी तरफ जाति की परिधि को कायम रखने के लिए पितृसत्तात्मकता पुरूषों को अधिकार देती है कि वो अपनी जाति की स्त्रियों को अपनी ही जाति के पुरूषों से विवाह में कन्यादान के जरिए सौंपे। यदि स्त्रियाँ खुद से किसी अन्य जाति के पुरूष से विवाह कर लेती है तो आज भी उन्हें अनेक प्रकार की सजाएँ या यातनाएँ मिल सकती हैं। इसमें पारिवारिक एवं सामुदायिक बहिष्कार से लेकर प्रतिष्ठा बचाने के लिए हत्या तक की सजा और अनेक प्रकार की हिंसा का सहन उस स्त्री को करना पड़ सकता है। इस तरह महिला सेल्फ रेस्पेक्टर्स का अन्तर्जातीय विवाह पर बल देना जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मकता दोनों की ही एक चुनौती थी।

बुद्धि और तर्क का सहारा लेते हुए इन सेल्फ रेस्पेक्टर्स महिलाओं ने सभी कुप्रथाओं एवं रीति–रिवाजों को अपना निशाना

अनुरूपी लेखक

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

बनाया। 'कुडि अरासु' नाम की शोध पत्रिका में मिनाक्षी नाम की सेल्फ रेस्पेक्टर लिखती हैं कि –'बहनों तुम उन कठिनाइयों को याद करो, जो तुम्हें प्रतिदिन बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम सूद पर पैसा लेती हो ताकि तुम समाज की प्रथाओं को निभा सको जैसे, धार्मिक कार्यों एवं पूजा पाठ के लिए, क्रिया–कर्म के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, अपने ऋणों को चुकाने के लिए, पुलिस को देने के लिए, वारंट लेने के लिए, जमीन का बंधक कराने इत्यादि कार्यों के लिए पैसा उधार लेती हैं ताकि तुम दूसरों से दिखावा कर सको। सभी एक दुसरे की नकल करते हैं, तुम भी क्यों इन सभी रीति–रिवाजों को निभाती हो?, तुम क्यों दूसरों की नजर में ऊपर उठना चाहती हो ? तुमको नहीं पता कि इन घिसी–पिटी प्रथाओं एवं उसकी बर्बरता ने तुम्हारे दिमाग को रोगग्रस्त बना दिया है।7

इसी प्रकार रंगनयागी अम्मल नाम की सेल्फ रेस्पेक्टर महिला ने कोयम्बटूर जिले के सेल्फ रेस्पेक्ट सम्मेलन में कहा कि अब कोई भी महिलाओं के बारे में यह नहीं कह सकता है कि "औरतों की बात मत सुनो" या फिर शांत रहना औरतों का आभूषण है।8 डी० रंगामल्ल नाम की सेल्फ रेस्पेक्टर ने 'पुरात्वी' नामक पत्रिका में धार्मिक कर्मकांड एवं धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों में फिजूल खर्ची होती है और औरतों के साथ धार्मिक स्थलों पर पुरूष ऐसे मौकों पर दुर्व्यवहार करना नहीं चूकते।"

रामामृथ्थम्मल ने 1936 में एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का नाम है – दासिगलिन मोसामलई (देवदासीज वेब ऑफ डीसिट), रामामृथ्थम्मल जो एक देवदासी थी, उन्होंने भी पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट आन्दोलन में अपने आपको शामिल किया। रामामृथ्थम्मल के उपन्यास में देवदासी और उच्चवर्णीय पुरूष दोनों की आलोचना करते हुए देवदासी प्रथा के सुधार की बात की गयी है। पेरियार ने भी स्त्री–पुरूष के प्रश्न को एवं जातिवादी प्रश्नों को समान स्थान दिया। उन्होंने कहा कि समाज एक ओर कुछ औरतों के पुनर्विवाह पर रोक लगाता है, दूसरी ओर पुरूषों को अनेक विवाह करने की छूट देता है। यह परस्परता के खिलाफ है। उसी प्रकार यदि समाज तलाक की इजाजत नहीं देता है तो वह स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के सिद्धान्त के खिलाफ है।

पेरियार एवं स्त्रियों की स्वतंत्रता : पेरियार ने कहा कि औरतों की गुलामी का कारण विवाह जैसी संस्थाएँ हैं। इसके लिए उन्होंने स्त्रियों के आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं अपना जीवनसाथी खुद चुनने की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने इच्छाओं को बुद्धि की कसौटी पर आधारित अभिव्यक्ति बताया। 'कुडि अरासु' नामक पत्रिका के संपादकीय लेख में यह लिखा गया कि स्त्रियों को नये आदर्श की जरूरत है।9 उन्हें स्वं–त्याग एवं पतिव्रता होने के बजाए ऐसा बनना है, जिससे उनका नाम विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो। पेरियार की इन विचारधाराओं का प्रभाव स्त्री सेल्फ रेसपेक्टर्स के ऊपर काफी प्रभावशाली दीखता है। उनकी जिंदगी भविष्य और वर्तमान की परिवर्तनशील दृष्टिकोण से जुड़ी थी। उनकी जिंदगी पर मातृत्व या पत्नीत्व के प्रभाव कम दिखे और एक वैचारिक क्रांति का प्रभाव ज्यादा दिखा। ये लोग पेरियार के आन्दोलन निर्माण करने वाली शक्तियाँ थीं और इन्होंने बाहर भ्रमण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा।10

अभिमुथु नाम के सेल्फ रेस्पेक्टर ने लिखा है कि स्त्री और पुरूष की योग्यताओं को कोई अंतर नहीं है। स्त्री बच्चों को जन्म देती है इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वो पुरूषों द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य को करने के लिए अयोग्य है।

गिरिजा देवी नाम की एक सेल्फ रेस्पेक्टर ने 'कुडि अरासु' में लिखा, "क्या ऐसा कोई खास सरकारी विभाग हो सकता है, जो स्त्रियों के प्रयास के लिए सतत् प्रयत्नशील हो, इस विभाग में काम करने वाली सिर्फ औरतें ही हों।"11

पेरियार, स्त्री का शरीर और स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता :

आनंदी12 के अनुसार कि तमिल संस्ति में मातृत्व पर काफी जोर दिया गया है, परंतु पेरियार ने स्त्रियों को इस बंधन से मुक्त होकर एक व्यक्ति के रूप में दर्शाने का भरपूर प्रयत्न किया। उनके हिसाब से मातृत्व एक अनिवार्य संस्था न होकर एक चुनाव होना चाहिए जहाँ एक ओर ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मकता औरतों के शरीर को नियंत्रित करता है क्योंकि वो स्त्री के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करके अपनी जातीय पवित्रता को बनाये रखना चाहता है, वहीं पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन में गर्भ निरोधक साधनों को औरतों की स्वतंत्रता का एक माध्यम बताया गया।

संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि पेरियार द्वारा चलाये गये सेल्फ रेस्पेक्ट आन्दोलन में आदि द्रविड़ (दलित) महिलाओं की सराहनीय भूमिका रही और महिलाओं का प्रश्न काफी केंद्रित रहा। यदि हम समकालीन तमिलनाडु में दलित स्त्रियों की बात करते हैं तो यहाँ गोरिंजे हुगो के कथन को ध्यान रखना आवश्यक दीखता है। जब वो कहते हैं, यदि आज तमिलनाडु में दलित महिलाओं की स्थिति को समझना है, तो हमें पेरियार की विचारधाराओं, आज के दलित आन्दोलन में किस हद तक समाहित है, उसे देखने की जरूरत होगी। पेरियार की विचारधाराएँ जितनी प्रबल होंगी दलित स्त्रियों का प्रश्न उतना ही गंभीर होगा। परंतु जैसा कि तमिलनाडु के वर्तमान दलित आन्दोलन की रूपरेखा है उससे यह विदित होता है

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

कि पेरियार की मान्यताओं एवं विचारों, खासकर महिलाओं के प्रश्न पर उनके विचारों के लिए इस आन्दोलन में कोई ज्यादा जगह नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वी गीथा, जेंडर कोलकाता, 2004
2. वही, पृ० – 160
3. वही,
4. नूर चेलमन, द प्यूरिटी ऑफ वुमेन इन द कास्ट्स ऑफ सीलोन एण्ड मालामर, जनरल ऑफ द रॉयल एन्थ्रोपोलॉजिकल इन्स्टीयूट, 93, पार्ट – 1, पृ० –25–28
5. रूविन हीशेचन, इन्ट्रोडक्शन (इन) रूविन हीश्रयन (सं०) वीमेन एण्ड प्रोपटी, वीमेन ऐज प्रोपटी, लंदन, 1984, पृ० 1–22
6. वी० गीधा, 2004, पृ०–163
7. वही, 168
8. वही, 169
9. वही
10. एस० आनंदी, रिप्रोडक्टिव एण्ड ऐगुलेटेड सेक्सुएलिटी एम० जॉन एण्ड जी० नायर (सं०) ए क्वेशयन्स ऑफ साइलेन्स, लंदन, 1998, पृ० – 155

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14